न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी— संजू पारीक आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या—09 / 2025

1. मन्जू पत्नी जयपाल पुत्री रामकुमार जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 16, अम्बेडकर कॉलोनी, हनुमानगढ़ गली नं. 1 मेन मार्ग, हनुमानगढ़।

—अपीलान्ट

बनाम

1. पूनम रानी पत्नी श्री राजेन्द्र जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 03 तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजेन्द्र पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 03 रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवास जयपुर।
3. ग्राम पंचायत रामगढ़ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ़ तहसील नोहर।
4. प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति नोहर जरिये अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः—श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता अपीलांट

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या—1

श्री रोहिताश सिहाग अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या—04

निर्णय दिनांकः— 13/5/2026

प्रार्थी मन्जू पत्नी जयपाल पुत्री रामकुमार जाति कुम्हार द्वारा निर्णय अपील संख्या 121 / 2024 निर्णय दिनांक 09.06.2025 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा जारी पट्टा संख्या 7 दिनांक 10.07.2014 राजेन्द्र पुत्र रामकुमार सिंगाठिया निवासी रामगढ़ के नाम से जारी पट्टा को खारीज किया है, को बहाल करने बाबत निगरानी पेश की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. अपीलार्थी ने एक अपील न्यायालय विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि [illegible] स्थाई निवासी है जिसकी शादी 12 वर्ष पूर्व प्रत्यर्थी [illegible] अपीलार्थी के एक पुत्र यतीन उम्र 10 वर्ष है। गांव [illegible] अपने ससुर से प्राप्त [illegible] 35 फिट गुणा 60 फिट आवासीय मकान है, जिसके उत्तर में पवन कुमार [illegible] आम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:49 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

रास्ता, पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में रामगोपाल है। उक्त भूखण्ड में मकान बने हुए है, जो राजीनामा से हिस्सा मे आने पर रिहायश हेतु उपयोग करती आ रही हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1 आवारा, मनचला है, जिसने करीब चार–पांच वर्ष पूर्व अपीलार्थी का त्याग करते हुए घर से भाग कर किसी अन्य लड़की से शादी कर ली और उसके साथ जयपुर में रह रहा है। अपीलार्थी के ससुर रामकुमार द्वारा अपनी पुस्तेनी सम्पति, अन्य आवासीय सम्पति, कृषि भूमि आदि का समाज के मौतबिरान व्यक्ति यथा सरपंच श्री राजेन्द्र जलन्दरा, नेठराना सरपंच राजेन्द्र निमीवाल, श्री मलीक जी डाल खुईया के समक्ष विभाजन बाबत राजीनामा दिनाक 02.08.2023 को पांच सौ रूपये के स्टाम्प व एक सादा कागज पर लिखवाया उक्त राजीनामा से अपीलार्थी के हिस्से में यह मकान आया। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा मकान को अपने नाम इन्तकाल करवाने के लिए आवेदन पेश किया, जिस पर अपीलार्थी ने आपति दर्ज करवाई, जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपीलार्थी के निवास करने का हलावा देते हुए श्रीमान् ग्राम विकास अधिकारी नोहर को रिपोर्ट पेश की। दिनांक 11.12.2024 को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 अपीलार्थी के मकान पर आये तथा पट्टा व उपहार पत्र की प्रति देते हुए धमकी दी की मकान का पट्टा प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने नाम बलवाते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में गिफ्ट डीड अन्तरिक किया हुआ है। दस्तावेज के आधार पर अपीलार्थी को मकान से बेदखल कर कब्जा करेंगे। जिससे पता चला कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने मकान का पट्टा सं. 07 बुक नं. 105 संकल्प संख्या 05 दिनांक 20.05.2014 की अनुपालना में दिनाक 10.07.2024 को 2160 वर्गफुट का जारी करवा रखा है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उपहार पत्र दिनांक 23.07.2024 को उप पंजीयक नोहर से पंजीकृत करवा रखा है। अपीलाधीन पट्टा नियम 157 (1) के तहत जारी है। प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति नोहर की बैठक मे विचार विमर्श किया गया कि मकान जो अपीलार्थी को दिया गया है वह अपीलार्थी के कब्जा व उपयोग उपभोग में है। अपीलार्थी के नाम पट्टा नहीं होने से अपीलार्थी के अधिकारों पर विपरित असर पड़ता है और अपीलार्थी को क्षति होती है। इस प्रकार कब्जा के अभाव में पट्टा प्रथम दृष्टया गलत जारी होना प्रमाणित है। कब्जा के अभाव में गलत पट्टा जारी होने से उपहार पत्र का कोई मूल्य नहीं रह जाता है उक्त तथ्यों के आधार पर माननीय सदस्यगण का विचार मत है कि अपीलाधीन पट्टा संख्या 7 दिनांक 10.07.2014 को प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम से जारी किया लेकिन अपीलाधीन पट्टा का भूखण्ड पूर्व में रामकुमार का पुस्तेनी मकान है इसलिए पट्टा संख्या 7 दिनांक 10.07.2014 को खारीज किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:49 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

3. अपीलान्ट को मातहत अदालत ने निर्णय से पूर्व सूचना नहीं दी कि कब निर्णय किया जायेगा तथा अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति नोहर द्वारा निर्णय के वक्त सूचना देनी चाहिये थी परन्तु निर्णय की सूचना मिलते ही निगरानी प्रस्तुत की जा रही है व अपीलान्ट औरत जात है, जिसको कानूनी प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है तथा ज्ञान के अभाव में भी निगरानी अन्दर मियाद है।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2025 विधि विरूद्ध व अनुचित होने व पंचायतीराज अधिनियम के विहित प्रावधानों के विपरित होने के कारण कार्यालय पंचायत समिति नोहर का आदेश निम्न आधारों पर खारीज योग्य है:—

(क) अपीलान्ट के भाई राजेन्द्र पक्ष में जारी पट्टा संख्या 7 बुक संख्या 105 संकल्प संख्या 05 रसीद संख्या 93 दिनांक 20.05.2014 की अनुपालना में दिनांक 10.07.2014 को कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा पट्टा जारी किया गया है, जो अपीलान्ट को दिनांक 23.07.2024 को उपहार मे मिला हुआ है, जो कि एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है, जो उप पंजीयक नोहर से पंजीकृत है उपहार के बाद से ही उक्त पट्टा शुदा मकान मे अपीलान्ट मालिक व काबिज है, जिस पर अपीलान्ट, जो आज भी अपने परिवार के साथ निवास कर रही है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट के पक्ष में जारी पट्टा कानूनन जारी किया गया है। इसलिए दिनांक 09.06.2025 को जारी निर्णय निरस्त योग्य है।

(ख) माह अत अदालत द्वारा दान पत्र जो कि एक रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनाक 23.07.2024 को उप पंजीयक नोहर द्वारा पंजीकृत है, जिससे अपीलान्ट सम्पूर्ण रूप से मालिक व काबिज है, जो आज तक कायम है जिसको नजरअंदाज करते हुए मनमाने तौर पर जो निर्णय पारित किया गया है, काबिले खारीज है, जो एक विधिक भूल है, जिसमें पंजीयन दस्तावेज अपीलान्ट के पक्ष में पंजीबद्ध होने के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का उक्त पट्टा शुदा भूखण्ड में कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है, इसलिए मातहत अदालत का निर्णय काबिल खारीज है।

(ग) मातहत अदालत द्वारा बिना किसी रिपोर्ट व बिना किसी दस्तावेजों का अवलोकन किये दस्तावेजों को नजरअंदाज करते हुए निर्णय पारित किया गया है जो कि विधि विरूद्ध है, जो कि निरस्त योग्य है।

(घ) अपीलाधीन निर्णय बिना किसी दस्तावेजों के व बिना किसी साक्ष्य सबूतो का अवलोकन किये विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध पारित किया गया है जो कि काबिले खारीज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:49 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

(ड़) यह कि नियम 157 (1) राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 में स्पष्ट प्रावधान है कि पुराने घरों का विनियमितिकरण का पट्टा जारी किया जा सकता है, जिसके अनुसार ही पंचायत ने मौका निरिक्षण कर व मौका रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 10.07.2014 को पट्टा संख्या 07 राजेन्द्र पुत्र रामकुमार सिंगाठिया निवासी रामगढ़ के नाम जारी किया गया है जिसको कानूनन बिना कोई साक्ष्य के निरस्त नहीं किया जा सकता है, मातहत अदालत द्वारा जारी निर्णय निरस्त योग्य है।

(च) अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय ना तो अपीलान्ट को सुना गया व न ही किसी प्रकार की मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये व दस्तावेजों का बिना अवलोकन किये केवल राजनैतिक दवाब व प्रभाव में आकर निर्णय पारित किया गया है इसलिए अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

(छ) रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मनगढ़त कहानी रच कर उक्त राजीनामा अपने पक्ष में तहरीर करवाया है जिसमें अपीलान्ट के कोई हस्ताक्षर नहीं है।

(ज) मातहत अदालत ने निगरानीधीन निर्णय पारित करते समय ग्राम पंचायत का रिकार्ड तलब नहीं किया तथा पट्टा जारी सम्बन्धित अनियमितता की जांच नहीं की मात्र पट्टे पर दर्ज तथ्यों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया की पालना करना नहीं माना जा सकता है। रिकार्ड को तलब करे रिकार्ड का अवलोकन करना चाहिये था जबकि निगरानीधनी निर्णय में कहीं उल्लेखन नहीं किया गया कि रिकार्ड तलब करके जांच की गई। मातहत अदालत का निर्णय एक पक्षीय मनमाने तौर पर विधि की अवलेहना में पारित किया गया है जो कि निरस्त योग्य है।

अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 09.06.2025 अपील संख्या 121/2024 को निरस्त कर ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा जारी पट्टा संख्या 07 दिनांक 10.07.2014 को बहाल रखा जावे।

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–01 की ओर से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या–02 रजिस्ट्रर्ड डाक से तामिल होनें के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थी संख्या–02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या–04 की ओर से [illegible] सिहाग एडवोकेट उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन [illegible] पंचायत समिति नोहर से निगरानीधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:49 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय पंचायत समिति नोहर द्वारा पट्टा संख्या–07 को खारिज किया गया है, जो राजेन्द्र पुत्र रामकुमार के पक्ष में बुक संख्या 105 संकल्प संख्या 05 रसीद संख्या 93 दिनांक 20.05.2014 की अनुपालना में दिनांक 10.07.2014 को कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे शुदा भूखण्ड को राजेन्द्र पुत्र रामकुमार द्वारा जरिये राजीनामा पुनमरानी पत्नि राजेन्द्र को दिया गया। लेकिन राजेन्द्र द्वारा उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड को अपीलाट को जरिये दानपात्र दिया गया, जो कि एक पंजीकृत दस्तावेज है। तथाकथित राजीनामा के आधार पट्टाशुदा भूखण्ड दिया गया हो लेकिन पूनमरानी के राजीनामा पर हस्ताक्षर नहीं है। दानपात्र पंजीकृत दस्तावेज है। जब तक दानपात्र प्रभावी है पट्टा खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2025 को अपास्त कर पट्टा संख्या 07 को बहाल किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि ग्राम पंचायत रामगढ़ में अप्रार्थी संख्या–01 पूनमरानी अपनी ससूर से राजीनामा में प्राप्त मकान में निवास कर रही है। राजेन्द्र रामगढ़ में निवास नहीं करता है। ग्राम पंचायत रामगढ़ में पुश्तैनी मकान का बंटवारा में प्राप्त हुआ। इस पुश्तैनी मकान के मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में 35 X 60 फुट का प्लॉट पूनम पत्नि रामकुमार को दिया गया। प्रार्थी मन्जू द्वारा स्वीकार किया गया है कि भूखण्ड वर्तमान में पूनमरानी के कब्जा में है। पट्टा संख्या–07 दिनांक 10.07.2014 को आवासीय भूमि का पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अधीन ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा राजेन्द्र पुत्र रामकुमार सिंगाठिया के पक्ष में जारी किया हुआ है लेकिन राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियम 157(1) के तहत पट्टा उसी भूखण्ड का जारी किया जाता है जिसमें 50 वर्ष से अधिक समय के रिहायस की जा रही हो। अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2025 सही है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज की जाकर पंचायत समिति का निर्णय बहाल रखा जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2025 में अंकित किया है कि " पट्टा संख्या 07 दिनांक 10.07.2014 जो प्रत्यर्थी संख्या 01 के नाम से जारी है परन्तु अपीलधीन पट्टा का भूखण्ड पूर्व में रामकुमार का पुश्तैनी भूखण्ड रहा है तथा रामकुमार द्वारा अपनी संपतियों का विभाजन लिखित दिनांक 02.08.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:49 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2023 के अनुसार उक्त भूखण्ड पर बना मकान अपीलार्थी को दिया गया है, जिस पर अपीलार्थी का कब्जा व उपयोग–उपभोग है तथा प्रत्यर्थी संख्या–01 का इस भूखण्ड पर कब्जा नहीं है।'' पंचायत समिति नोहर द्वारा गठित मौका निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार यहां पूनमरानी रहती है। राजेन्द्र का पट्टा खारिज योग्य है।

समस्त विवेचन के आधार पर न्यायालय के मत में ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के आधार पर पट्टा संख्या 07 दिनांक 10.07.2014 जारी किया गया लेकिन पट्टा धारक का भूखण्ड पर कब्जा नहीं है और ना ही राजेन्द्र ग्राम रामगढ़ में निवास करता है। राजेन्द्र काफी वर्षों से जयपुर निवास करता है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत उसी भूखण्ड का जारी किया जाता है, जिस पर मकानात आदि बने हुए हो एंव लगभग 50 वर्षों से रिहायस की जा रही हो। अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 09.06.2025 को पारित निर्णय उचित है। इसलीए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.06.2025 मे हस्तक्षेप किया जाना न्यायौचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.06.2025 को यथावत रखा जाता है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावें। पत्रावली फेसलाषुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13/5/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

(संजू पारीक आर.ए.एस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:49 IST
Reason: SelfAttested